न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/37/2024	2024/14-2	20.09.2024	04.12.2024

1. रामजीलाल पुत्र श्री रेवड,
2. कैलाशचन्द्र पुत्र श्री श्रीया,
3. समर्थलाल दत्तक पुत्र श्री भगवाना,
4. बदरी प्रसाद दत्तक पुत्र श्री हनुमान,
5. रामराज पुत्र श्री कल्याण, समस्त जाति मीणा, निवासीयान ग्राम गुवाडा हार तन सीलीबावडी तह0 थानागाजी हाल तह0 प्रतापगढ जिला अलवर राज0।

—अपीलाण्ट्स

बनाम

1. तहसीलदार प्रतापगढ, जिला अलवर राज.।

—असल रेस्पाडेन्ट

2. मोतीलाल पुत्र श्री सांवता,
3. प्रहलाद पुत्र श्री सांवता,
4. रामबाबू पुत्र श्री सांवता,
5. सत्य प्रकाश पुत्र श्री सांवता,
6. विश्राम पुत्र श्री कल्याण,
7. भगवती पुत्री बिरदी,
8. हंसा पत्नी मोतीलाल सभी जाति मीणा, निवासीयान ग्राम गुवाडा हार तन सीलीबावडी तह0 थानागाजी हाल तह0 प्रतापगढ जिला अलवर राज0।
9. रामबाई पुत्री रामधन पत्नी रामकिशोर जाति मीणा निवासी ग्राम गुवाडार हार निवासी ग्राम सैंथल तह0 व जिला दौसा।
10. सौमा पुत्री रामधन पत्नी रामप्रसाद मीणा, निवासी ग्राम गुवाडा हार हाल निवासी ग्राम गोपालपुरा तह0 थानागाजी जिला अलवर राज0।

— तरतीवी रेस्पाडेन्ट्स

अपील विरुद्ध इन्तकाल संख्या 162 दिनांक 18.03.2024 ग्राम गुवाडा हार तन सीलीवावडी तह0 थानागाजी हाल तह0 प्रतापगढ जिला अलवर राज0।

उपस्थितः—
01—श्री लक्ष्मण सिंह पोसवाल
02—श्री दीपक मीना
03—श्री मुरारी लाल मीणा

—वकील अपीलाण्ट
—राज0 वकील असल रेस्पो0 सं0 01
—वकील तर0 रेस्पो0 02 लगा0 08

—:निर्णयः—

वकील अपीलाण्ट ने यह अपील विरूद्ध इन्तकाल संख्या 162 दिनांक 18.03.2024 ग्राम गुवाडा हार तन सीलीवावडी तह0 थानागाजी हाल तह0 प्रतापगढ, तहसीलदार प्रतापगढ द्वारा निर्णय पारित किया गया, से व्यथित होकर प्रस्तुत की है। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि दावा बअनुवानी रामजीलाल वगैरा बनाम, राजस्थान राज्य व मोतीलाल वगैरा, अंतर्गत धारा 88, 89 राज.टी. एक्ट के तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय, थानागाजी जिला अलवर में प्रस्तुत किया था, जिसमें दावा संख्या 1/28/2021 में पारित निर्णय को धारा 152 जाप्ता दीवानी के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए संशोधित निर्णय डिक्री दिनांक 03—07—2023 को पारित की गई थी। उपरोक्त निर्णय डिक्री की अनुपालना के

अति. जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

लिए न्यायालय एसडीओ के आदेश से तहसीलदार साहब को दिनांक 11–07–23 को पत्र प्रेषित किया गया। इसके बाद उसी दिन मूल आदेश को ही पटवारी हल्का को निर्णय की पालना सुनिश्चित कराने हेतु लिखा गया, जिस पर पटवारी हल्का ने दिनांक 01–03–24 को इंतकाल संख्या 162 दर्ज कर इंतकाल को तहसीलदार साहब के समक्ष पेश किया तथा तहसीलदार साहब ने उक्त नामान्तकरण संख्या 162 का निर्णय दिनांक 18–03–2024 को करते हुए नामान्तकरण को यह कहते हुए निरस्त कर दिया कि पेटा तालाबी भूमि प्रतिबंधित होने के कारण नामान्तकरण निरस्त किया जाता है। जिससे व्यथित होकर यह अपील अदालत श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत है। आदेश जेरे अपील अपीलांटान को बिना तलब किये, बिना कोई सुनवाई का अवसर दिये सरासर गलत खिलाफ कानून मौका मनमाने तरीके से न्याय के सुस्थापित सिद्धांतों की खुल्लम खुल्ला अवहेलना करते हुए पारित किया गया है, जिसकी जानकारी अपीलांटान को पटवारी हल्का से दिनांक 05–09–2024 को हुई, जिस पर दिनांक 06–09–2024 को इंतकाल की सत्य प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया, जिस पर उसी रोज सांयकाल नकल प्राप्त हुई। इसके बाद अपीलांटान ने अपने वकील साहब से कानूनी सलाह मशवरा किया तथा दिनांक 12 से 16 सितंबर 2024 का राजकीय अवकाश था, इसलिए आज अविलम्ब ही जानकारी की तारीख 05–09–2024 से अपील हाजा अंदर मियाद प्रस्तुत है। जेर दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पृथक से प्रस्तुत किया जा रहा है। विवादित आराजी अपीलांटान की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है जिस सालिम रकबे पर अपीलांटान अपने बुजुर्गों के समय से ही यानि संवत 2003 से भी पूर्व से कार्य काश्तकारी करते चले आ रहे हैं जिसकी किस्म पेटा तालाबी होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। सक्षम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय थानागाजी द्वारा अपीलांटान का दावा अंतर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विवादित आराजी बाबत राजस्व रिकॉर्ड का संपूर्ण अवलोकन करने के बाद एवं उभयपक्षों को सुनने के बाद विधि सम्मत रूप से स्वीकार कर डिक्री किया था, जिस दावे में प्रतिवादी संख्या 1 के रूप में स्वयं राजस्थान सरकार जर्ये जिला कलक्टर अलवर एवं प्रतिवादी संख्या 2 के रूप में राजस्थान राज्य जयें तहसीलदार साहब थानागाजी पक्षकार मुकदमा थे। इसलिए उन्हें यदि निर्णय डिक्री के संबंध में कोई एतराज था तो अंदर अवधि निर्णय के खिलाफ अपील पेश करनी चाहिये थी किन्तु अब एक वर्ष बाद गलत एवं मनमाने तरीके से तहसीलदार ने अपीलांटान को बिना सुने न्याय के सुस्थपित सिद्धांतों की अवहेलना करते हुए इंतकाल खारिज कर आलोच्य निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी की किस्म यदि पेटा तालाबी भी मानी जावे तो भी तहसीलदार साहब स्वयं राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में खातेदार काश्तकार के अंकन होने के कारण निर्णय नहीं कर सकते हैं। बल्कि तहसीलदार साहब को एतराज करना था तो अपनी रिपोर्ट के द्वारा पत्रावली को जिला कलक्टर साहब को रेफरेन्स के लिए भिजवा सकते थे। विवादित आराजी के चारों तरफ अपीलांटान की खातेदारी की दीगर आराजी है जो समस्त आराजी काबिल काश्त है और काश्त के ही काम में आ रही है। विवादित आराजी में वर्तमान में अपीलांटान ने बाजरे की फसल बो रखी है तथा गत फसल भी अपीलांटान ने बोई और काटी थी। इस प्रकार विवादित आराजी में अरसे दराज से काश्त होती आ रही है। इसलिए विवादित आराजी किसी तरह से पेटा तालाबी प्रतिबंधित भूमि नहीं है। जिस कारण आलोच्य निर्णय खिलाफ मौका एवं खिलाफ कानून होने के कारण निरस्त किए जाने योग्य है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्टान स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार साहब, थानागाजी हाल तहसील प्रतापगढ जिला अलवर का आलोच्य निर्णय दिनांक 18–03–2024 बाबत इंतकाल संख्या 162 वाके ग्राम गुवाड़ा हार तन सीलीबावड़ी तहसील थानागाजी हाल तहसील प्रतापगढ़ जिला अलवर (राज०) को निरस्त फरमाया जावे तथा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय, थानागाजी जिला अलवर द्वारा दावा संख्या 1/28/2021 में पारित निर्णय डिक्री दिनांक 03–07–2023 की अनुपालना में इंतकाल स्वीकार किए जाने की आज्ञा प्रदान की जावे।

रेस्पो0 सं0 1 की ओर से विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील वर्णित तथ्यों को नकारते हुए निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत एवं नियमानुसार निर्णय किया गया है। अतः निवेदन किया गया कि अपील अपी0 खारिज फरमाई जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम प्रा0पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम पर विचार किया गया। अपीलान्ट्स द्वारा उक्त अपील अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.03.2024 के विरूद्व दिनांक 20.09.2024 को पेश की गयी है जो करीब 06 माह के विलम्ब से पेश की

अति. जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

गई है। माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर के द्वारा पारित विभिन्न दृष्टांतों के मद्देनजर नरमी का रूख अपनाते हुए अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं अधिवक्ता की बहस पर चिन्तन–मनन किया। अपीलाण्ट्स द्वारा कुछ दस्तावेज इस न्यायालय में प्रस्तुत किये गये, जिसमें भू–पबंधन विभाग द्वारा संवत 2028 का मिलान क्षेत्रफल व 2012 से 2015 इत्यादि की जमाबंदियां सम्मिलित हैं, जिनमें यह भूमि चिकनोर ढहरी के रूप में दर्ज है। अधिवक्ता द्वारा बताया कि पूर्व में यह भूमि गैर मुमकिन पेटा तालाबी के रूप में दर्ज नहीं थी किन्तु अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत इस रिकॉर्ड का विवेचन करना इस न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं है। इस न्यायालय के समक्ष अपील नामा0 सं0 162 दि0 18.03.2024 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसमें राजस्व अधिकारी द्वारा "पेटा तालाबी भूमि प्रतिबंधित होने के कारण नामान्तकरण निरस्त किया है", अंकित करते हुए नामान्तकरण खारिज किया गया है। इस संबध में उपखण्ड अधिकारी थानागाजी के यहां राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88, 89 पेश किया गया था, जिसमें निजी खातेदारी भूमि का इस्तकरारहक व इन्द्राज दुरूस्ती की डिग्री जारी की गई। उपखण्ड अधिकारी थानागाजी के निर्णय में तहसीलदार प्रतिवादी के रूप में दर्ज था। किन्तु तहसीलदार द्वारा भूमि की किस्म पेटा तालाबी के विषय में होने की कोई आपत्ति प्रकट नहीं की गई। इस प्रकार स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा दौराने वाद अथवा जवाब में भूमि के पेटा तालाबी होने बाबत् कोई आपत्ति या जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया और बाद में तहसीलदार द्वारा नामान्तकरण को खारिज कर दिया, जो कि विधिविरूद्ध है। क्योंकि भी राजस्व अधिकारी को किसी सक्षम न्यायालय द्वारा जारी डिक्री/निर्णय की पालना किया जाना आवश्यक होता है तथा तहसीलदार को सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना नामान्तकरण को स्वयं ही खारिज किये जाने का अधिकार नहीं है। अतः तहसीलदार द्वारा नामान्तकरण सं0 162 आदेश दि0 18.03.2024 विधिविरूद्ध होने के कारण अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार प्रतापगढ़ का नामा0 सं0 162 आदेश दिनांक 18.03.2024 निरस्त किया जाता है तथा डिक्री दिनांक 03.07.2023 की पालना में नामान्तकरण दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को मूल रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 04.12.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

4.12.24

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)